संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences,
Raebareli Road, Lucknow-226014 (INDIA)
Phone: 0522-2494065 Fax: 91-0522-2668078, 2668017

पत्रांकः पी0जी0आई0 / चि0अ0 / पी0एस0 / 3579 / 2026 दिनांकः 09 जून, 2026

कार्यालय आदेश

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र संख्याः–DY CM-2 / पाँच–2026 दिनांक 23–05–2026 के सन्दर्भ में चिकित्सीय एवं तकनीकी सुविधाओं के प्रभावी संचालन / अनुश्रवण हेतु निम्नवत् नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं:–

1. भीषण गर्मी (हीट वेव) के दृष्टिगत होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु प्रो0 तनमय घटक, इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. भीषण गर्मी (हीट वेव) के दृष्टिगत बिजली के शार्ट–सर्किट, वाटर कूलर, एयर कूलर, विद्युत आपूर्ति तथा फायर फाइटिंग हेतु श्री पी0सी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ताको नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

उक्त दोनो नोडल अधिकारी परस्पर सामन्जस्य रखते हुए फैकल्टी इन्चार्ज इंजीनियरिंग को अवगत कराते हुए अस्पताल की चिकित्सीय एवं तकनीकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु उचित कार्यवाही करना तथा निर्धारित प्रारूप में शासन को सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

08-06-2026
(प्रो0 देवेन्द्र गुप्ता)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
Prof. Devendra Gupta
CMS
S.G.P.G.I.M.S., Lko.

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक।
2. अपर निदेशक।
3. चिकित्सा अधीक्षक।
4. अध्यक्ष, एच0आर0एफ0 एवं आई0आर0एफ0।
5. अध्यक्ष, ओ0पी0डी0।
6. विभागाध्यक्ष, इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग।
7. संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन)।
8. फैकल्टी इन्चार्ज (अभियन्त्रण)।
9. प्रो0 तनमय घटक, इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग।
10. श्री पी0सी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत अभियन्त्रण विभाग।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. विभागाध्यक्ष, बी0एच0आई0 को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका।
14. जन सम्पर्क अधिकारी।
15. श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी ओ0पी0डी0 / पी0एम0एस0एस0वाई0 / ए0टी0सी0।
16. श्री पी0एस0 पाण्डेय, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (मेकैनिकल)।

08-06-2026
(प्रो0 देवेन्द्र गुप्ता)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
Prof. Devendra Gupta
CMS
S.G.P.G.I.M.S., Lko.

E.O. No. 2642434/2026/PGIDIR

संख्या–DY CM-2/पॉंच–5–2026

25/5/26

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. वी0सी0, के0जी0एम0यू0/सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय।
2. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/आर0एम0एल0/जिम्स ग्रेटर नोएडा/पी0जी0आई0 सी0एच0, नोएडा।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख अधीक्षक, मण्डलीय चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 23मई, 2026**

विषय–गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रबंधन एवं प्रभावी तैयारी हेतु दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान दस्तावेज के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस वर्ष सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। माह मार्च के अंत में मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों से प्रारंभ होकर मार्च से मई 2026 के मध्य की अवधि में प्रदेश के अधिकांश जनपद हीट वेव मैप में अत्यधिक प्रभावित जनपदों में प्रदर्शित हो रहे हैं। आगामी 10–15 दिनों तक भंयकर गर्मी तथा लू का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के नागरिकों को इससे सावधान रहने और बचने की अपील भी की है।

2– प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने के दृष्टिगत उष्ण मौसम से संबंधित रोगों (हीट रिलेटेड इलनेसेज) के विषय में निम्न गतिविधियाँ प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है :–

अंतर्विभागीय गतिविधियाँ

उष्ण मौसम से संबंधित रोगों (हीट रिलेटेड इलनेसेज) के विषय में **अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए निम्न गतिविधियाँ प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है** –

- भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर जनमानस हेतु शीतल एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था।
- गर्मी से बचाव हेतु शेलटर्स की व्यवस्था।
- व्यस्त स्थानों पर मौसम के पूर्वानुमान तथा तापमान का डिस्प्ले।
- हीट वेव से बचाव हेतु उपायों का जनमानस में व्यापक प्रचार–प्रसार।
- विद्यालयों में हीट वेव से बचाव हेतु उपायों का जनमानस में व्यापक प्रचार–प्रसार।

स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गतिविधियाँ

1. **गाइडलाइन्स, प्रजेंटेशन/प्रशिक्षण मॉड्यूल** : भारत सरकार द्वारा **"हीट एंड हेल्थ"** वि पर विकसित की गई जन स्वास्थ्य तथा क्लीनिकल गाइडलाइन्स इस पत्र के स संलग्न हैं **(संलग्नक–1)**। साथ ही राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित वि गए चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रजेंटेशन/प्रशिक्षण मॉड्यूल भी संलग्न हैं।
2. **रिपोर्टिंग** : 01 मार्च, 2025 से समस्त जनपदों में गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दैनि निगरानी (Daily surveillance) करते हुये उक्त की सूचना इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेश प्लेटफॉर्म (आई0एच0आई0पी0) पर अंकित की जा रही है। यह सुनिश्चित करें वि आपके जनपद में/अधीनस्थ सभी स्वास्थ्य इकाई को आई0एच0आई0पी0 पर सूचन अंकित करने के लिये लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध हों तथा **निर्धारित प्रारूपों के अनुसा समस्त गर्मी प्रभावित चिन्हित रोगियों एवं गर्मी के कारण हुई मृत्यु की लाइन लिस्ट दैनिक रूप से आई0एच0आई0पी0 पर अपलोड की जा रही हों**। साथ ही संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र **(संलग्नक–2)** पर दैनिक रिपोर्ट भी प्रतिदिन सायं 04:00 बजे तक ई0मेल आई0डी0– idspup@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. **चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण** : स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स का प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है जिसमें इन रोगों की शीघ्रतापूर्वक पहचान तथा उपचार के विषय में भी बताया जाए।
4. **चिकित्सा इकाइयों की समीक्षा** : निम्न बिंदुओं पर तैयारियों की स्थिति हेतु चिकित्सा इकाइयों की समीक्षा भी नियमित रूप से की जाए –

4.1. चिकित्सा इकाइयों पर रोगियों एवं उनके परिचारकों हेतु पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता।

4.2. चिकित्सा इकाइयों के क्रिटिकल क्षेत्रों (ओपीडी, वार्ड्स, रोगियों तथा तीमारदारों के प्रतीक्षा स्थल, रैन बसेरा इत्यादि) में शीतक उपकरणों (पंखे, एयर कूलर/कंडीशनर इत्यादि) की उपलब्धता एवं निरंतर क्रियाशीलता।

4.3. आवश्यक औषधियों, इंट्रावीनस फ्लूड्स, आइसपैक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता।

4.4. आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता।

4.5. ब्लॉक स्तर तक के समस्त चिकित्सालयों में हीट स्ट्रोक रोगियों के प्रबंधन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री के साथ **हीट स्ट्रोक कक्ष की व्यवस्था (विवरण : संलग्नक–3–स्लाईड 20–24)**।

4.6. रोगियों के परिचारकों हेतु चिकित्सालयों में क्रियाशील रैनबसेरों में बिजली, पंखा, कूलर, शुद्ध पेयजल इत्यादि की उचित व्यवस्था।

4.7. इसी के साथ अत्यधिक तापमान की स्थितियों (एक्स्ट्रीम हीट कंडीशन्स) का सामना करने के लिए निम्न गतिविधियाँ भी यथासंभव संपादित की जायें –

- चिकित्सा इकाइयों पर कूलिंग उपकरणों की निरंतर क्रियाशीलता सुनिश्चित किए जाने हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति।
- यथासंभव सोलर पैनल्स का इंस्टालेशन, विद्युत ऊर्जा के संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय
- शीतल अथवा हरित छत (Cool & Green roof) के माध्यम से इंडोर तापमान कम करने के उपाय।
- खिड़कियों पर तथा खुले क्षेत्रों में शेड लगाना।

4.8. वर्षा जल के संरक्षण एवं पुनर्प्रयोग हेतु संयत्र लगाने पर भी विचार किया जाए ताकि जल की उपलब्धता के क्षेत्र में चिकित्सा इकाइयाँ आत्मनिर्भर हो सकें।

5. **प्रचार–प्रसार** : राज्य स्तर से प्रेषित की जा रही सूचना, शिक्षा तथा संवाद सामग्री का प्रयोग जन सामान्य के संवेदीकरण हेतु किया जाए तथा जनमानस को उष्ण लहर (हीट वेव) से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपायों के विषय में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए (प्रचार सामग्री प्रारूप संलग्न : **IEC 1-4**)। आम जनता के संवेदीकरण हेतु **"क्या करें, क्या ना करें (Dos and Donts)" संलग्नक–4** के माध्यम से प्रेषित हैं।

6. **चिकित्सा इकाइयों में अग्नि सुरक्षा उपाय** : आग लगने की घटनाओं को रोकने तथा किसी दुर्घटना की स्थिति के त्वरित प्रबंधन हेतु अग्नि सुरक्षा उपाय अति आवश्यक हैं, जिसके लिए नियमित रूप से चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण, फायर सेफ्टी तथा इलेक्ट्रिकल लोड के ऑडिट अनिवार्य हैं। साथ ही आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध होने चाहिए।

6.1. **अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक गतिविधियाँ**

- अग्निशमन विभाग के माध्यम से चिकित्सा इकाईयों का फॉयर सेफ्टी ऑडिट।
- फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में इंगित कमियों का निराकरण।
- फायर सेफ्टी ऑडिट में इंगित कमियों के तहत छोटे–मोटे कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धनराशि से सुनिश्चित किया जाना।
- स्थानीय स्तर पर रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि का उपयोग।
- संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण विद्युत उपकरणों के निकट तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर अग्निशमन संयंत्र, फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किया जाना एवं इनकी सदैव क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
- नियमित अंतराल पर फायर सेफ्टी ड्रिल का आयोजन।

6.2. **विद्युत सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक गतिविधियाँ**

- विद्युत सुरक्षा निदेशालय के इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंस्पेक्टर के माध्यम से चिकित्सा इकाईयों का इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धनराशि से इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट में पायी गयी छोटी–मोटी कमियों का निराकरण।
- स्थानीय स्तर पर रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग।
- लघु निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु विभागीय अभियंताओं के माध्यम से कार्य के आगणन कराकर महानिदेशालय को उपलब्ध कराते हुये कार्यों को लघु निर्माण/अनुरक्षण मद के अंतर्गत सम्पादित किया जाना।
- चिकित्सालयों के विद्युत संयोजनों, कन्ट्रोल पैनल केबिल का नियमित परीक्षण कराया जाना।
- लूज कान्टैक्ट प्वाइन्ट को तत्काल सही कराया जाना।

7. **निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ समन्वय** : महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में भी हिट रिलेटेड इलनेसेज के प्रबंध हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए जाएं तथा इन निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग भी की जाएगी।

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी निजी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर हिट रिलेटेड इलनेसेज के प्रबंधन हेतु पर्याप्त व्यवस्थायें करवाना सुनिश्चित करेंगे।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जनपदों में उपरोक्त निर्देशों में उल्लिखित अंतर्विभागीय गतिविधियों का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाये। समस्त जनपद में सभी स्तरों के चिकित्सालयों में आवश्यक प्रशिक्षण तथा लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए हीट वेव की स्थिति में परामर्श एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाए।

भवदीय,
23/5/2026
(अमित कुमार घोष)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— DY CM-2 (1)/पांच—5—2026 तद्दिनांकः
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक(संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. राज्य नोडल अधिकारी, एन0पी0सी0सी0एच0एच0, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह सचान)
विशेष सचिव।